2011/00002

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 10/2011

अपीलांट्स

1.तुलसाराम पुत्र अमराराम
2.मेहराराम पुत्र अमराराम
3.तेजाराम पुत्र अमराराम
4.मु.रूपो पत्नि अमराराम
जाति जाट निवासी नेतराड
तहसील,चौहटन

बनाम्

रेस्पोडेंट्स

1.तहसीलदार,चौहटन
2.अचलाराम पुत्र पुरखाराम
3.चेतनराम पुत्र पुरखाराम
4.हीराराम पुत्र पुरखाराम
5.उदाराम पुत्र टीकूराम
जाति जाट निवासी नेतराड
तहसील,चौहटन

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 25.12.2010 द्वारा तहसीलदार,चौहटन

उपस्थितः–1.श्री रूपसिंह अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से।
2.श्री सोहन दवे राजकीय अधिवकता रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से
3.श्री पूनमसिंह चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 05 की ओर से

आदेश दिनांक 17.02.2016

1. संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स व रेस्पोडेंट संख्या 02 से 05 की संयुक्त खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 445, 604, 607,609, 610, 868 1198/637, 1200/637,1204/641,1206/641 कुल रकबा 223–09बीघा मौजा नेतराड में आई हुई है। जिसमें अपीलांट का 1/2 हिस्सा एंव रेस्पोडेंट संख्या 2 से 05 का 1/2 हिस्सा है। पक्षकारान खातेदारान आपसी सहमति से मौके पर अपने–अपने हिस्से के अनुसार विभाजन कर काश्त करते आ रहे है तथा अपने–अपने हिस्सों में आवासीय ढाणीये बनी हुई है। अपीलांट्स एंव रेस्पोडेंट संख्या 02 से 05 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार,चौहटन के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश किया। जिस पर तहसीलदार चौहटन ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.10.2010 द्वारा पक्षकारान की आपसी सहमति का प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर दिया। इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट्स ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट्स ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर मयाद सुमार करने का निवेदन किया। अपीलांट्स

जिला कलक्टर
बाड़मेर

ए 7/2

ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र भी पेश किया गया।

2. हमने अपील अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंट्स को सम्मन किये एंव अपीलाधीन पत्रावली तलबी।

3. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि मौजा नेतराड के खेत खसरा नम्बर 445, 604, 607,609, 610,1198/637, 868 1200/637, 1204/641, 1206/641 कुल रकबा 223–09बीघा में अपीलांट्स एंव रेस्पोडेंट संख्या 02 से 05 का 1/2 हिस्सा है। इसी आराजी को पक्षकार आपसी सहमति से मौके पर विभाजन कर काश्त करते आ रहे हैतथा अपने अपने हिस्से में आवासीय ढाणीयां बनी हुई है। पक्षकारान ने विभाजन कब्जा अनुसार अपनी सहमति दी। पटवारी हल्का ने विभाजन आवेदन तैयार करते समय इसी अनुरूप नक्शा बनाने का आश्वासन दिया था। मगर भौतिक कब्जा काश्त अनुसार नक्शा नहीं बनाया।खसरा नम्बर 12009/637 रकबा 64–17बीघा भूमि में अपीलारंट आधे हिस्से पर अपनी ढाणियें,टांके आदि बनाकर मौके परकाबिज है। मगर बंटवाड़ा में अपीलांट्स को उक्त खसरा की भमि में से कोई हिस्सा नहीं दिया जाना दर्शाया है खसरा नम्बर 604 की भूमि में भी अपीलांटस का आधे हिस्से पर कब्जा है जबकि उसके हिस्से में अधिक भूमि दर्शाई गई है जिससे अपीलांट की ढाणियें,टांके सभी रेस्पोडेंट्स के हिस्से में आ गये है। विभाजन आदेश पक्षकारान के भौतिक कब्जे काश्त अनुसार नहीं है। अपीलांट का इस विभाजन से रहवासीय ढाणी का आवास पूर्व कब्जा पूर्ण रूप से प्रभावित रहा है। मयाद के सम्बन्ध में इनका तर्क है कि विभाजन प्रस्ताव के तस्दीक होने के पश्चात् पक्षकारान के अपने अपने भूखण्ड पर नाप कर चिन्हित न करने के कारण अपीलांट को वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं हुआ अपीलाधीन आदेश का अपीलांट को विवाद की स्थिति पैदा होने पर व विभाजन आदेश की हल्का पटवारी से नकले प्राप्त करने पर दिनांक 29.4.11 को हुआ और वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अंदर मयाद पेश की है। पक्षकारान तहसीलदार चौहटन की मौका रिपोर्ट अनुसार एंव लोक अदालत में इस प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते है। इसलिये लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए अपीलांट्स की अपील स्वीकार कर पक्षकारान के भौतिक कब्जा काश्त अनुसार आराजी का विभाजन आदेश प्रदान करावें।

4. इसके जवाब में रेस्पोडेंट संख्या 02 से 05के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि पूर्व में जो बंटवाड़ा किया गया था,वह मौके पर कब्जे काश्त के विपरित किया गया था जिसको निरस्त करवाने में हम सभी पक्षकारान पूर्ण रूप से सहमत है। इसलिये मामला पुनः भौतिक कब्जा काश्त अनुसार रिमाण्ड किया जाता है तो उन्हे कोई आपति नहीं है।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

A 7/3

5. हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली,उस पर उपलब्ध अभिलेख एंव तहसीलदार चौहटन से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 12.07.2012 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार, चौहटन द्वारा बंटवाड़ा आदेश दिनांक 25.10.2010 को स्वीकृत करने के विरूद्ध पेश की है। मौजा नेतराड के खेत खसरा नम्बर 445, 604, 607,609, 610, 868 1198/637,1200/637, 1204/641,1206/641 कुल रकबा 223–09बीघा अपीलांट्स व रेस्पोडेंटस की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। अपीलांट्स एंव रेस्पोडेंट संख्या 02 से 05 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदा,चौहटन के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश किया। उक्त सहमति से विभाजन के बंटवाड़ा में कब्जे को लेकर पक्षकारान के मध्य विवाद बना हुआ है और मौके पर बंटवाड़ा अनुसार कब्जा न होकर भिन्न प्रकार से कब्जा है अर्थात् विभाजन आदेश पक्षकारान के भौतिक कब्जे काश्त के अनुसार नहीं है। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत कथनों, अपील में अंकित तथ्यो एवं लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह से पक्षकारान का मौके पर कब्जा काश्त है,उसी अनुसार पक्षकारान ने तहसीलदार चौहटन से प्राप्त मौका रिपोर्ट एंव संलग्न नक्शा के अनुसार बंटवाडा करने में सहमति जाहिर की है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार,चौहटन ने विभाजन विलेख स्वीकृत करने से पूर्व रेकर्ड, मौके की स्थिति की सही जॉच नहीं की। जिसके अभाव में अपीलाधीन आदेश को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट ने अपील के साथ देरी से प्रस्तुत करने बाबत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र पेश किया है जो अपील के तथ्यों को देखते हुए स्वीकार किये जाने योग्य है जो स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मयाद सुमार की जाती है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.10.2010 को अपास्त किया जाता है, और तहसीलदार, चौहटन को निर्देश दिये जाते है कि फर्द मौका दिनांक 30.05.2012 एंव उसके संलग्न नक्शा अनुसार पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त अनुसार पुनः विधिवत आदेश पारित करें।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 17.2.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर